संख्या: 9/2016/207/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016

विषय: नवसृजित जनपद अमेठी (छत्रपति शाहूजी महराज नगर) में जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 279/61-2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद अमेठी (छत्रपति शाहूजी महराज नगर) में जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु शासनादेश संख्या-569/61-2010 -73/1-2003 डी, दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा सृजित निम्नलिखित अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 28-02-2017 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि यह पद इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की सं0
1	2	3	4
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	9300-34800(ग्रेड पे4200)	एक पद
2.	कैशियर-कम-स्टोर-कलर्क	5200-20200(ग्रेड पे 2400)	एक पद
3.	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200(ग्रेड पे 2400)	एक पद
4.	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200(ग्रेड पे 1900)	एक पद
5.	चपरासी	4400-7440(ग्रेड पे 1300)	एक पद
		योग :	पांच पद

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई एवं अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2015-निर्वाचन-आयोजनेतर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-03-विधान सभा एवं संसद की सुसंगत इकाइयों" के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या: 9/2016/207(1)/61-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12.
(3) जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, अमेठी (छत्रपति शाहूजी महराज नगर)।
(4) कोषाधिकारी, अमेठी (छत्रपति शाहूजी महराज नगर)।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।